अध्याय XI : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, भुवनेश्वर केन्द्रीय प्रभाग सं.-II, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), भुवनेश्वर

11.1 सेवा कर की वापसी पर दावा नहीं करने से परिहार्य व्यय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, देय तिथि के भीतर सेवा कर की वापसी का दावा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 71.80 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

वित्त अधिनियम 2016 ने पूर्व प्रभाव से सरकार के लिए किए जाने वाले निर्माण सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान से छूट प्रदान कर दी थी और इस प्रकार 1 अप्रैल 2015 से 29 फरवरी 2016 तक की अवधि के लिए सरकार के लिए जाने वाले निर्माण कार्य, स्थानीय प्राधिकरण, या सरकारी अस्पतालों, विद्यालयों के संबंध में कोई भी सेवा कर लगाने या जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। इस छूट को आगे 31 मार्च 2020 तक अधिसूचना संख्या 9/2016-एसटी दिनांक 1 मार्च 2016 के द्वारा इस शर्त के साथ बढ़ा दिया कि समझौता 1 मार्च 2015 से पहले हो जाए। सेवा की वापसी के दावे के लिए आवेदन हालांकि, वित्त बिल 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली उस तिथि से अर्थात् 14 मई 2016 उससे छः माह के अंदर बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार सेवा कर की वापसी के दावों को 13 नवम्बर 2016 के पहले किया जाना चाहिए था।

कार्यपालक अभियंता, भुवनेश्वर, केन्द्रीय प्रभाग-II केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) कार्यालय, ने केन्द्रपारा और जाजपुर में केन्द्रीय विद्यालय के स्कूल भवनों के निर्माण के लिए दो ठेकेदारों[1] (जून 2014 और अगस्त 2014) के साथ अनुबंध किया। नवम्बर 2016 और दिसम्बर 2016 में यह निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। ठेकेदारों ने सीपीडब्ल्यूडी से जून 2015 से अगस्त 2016 तक की अवधि के लिए ₹ 71.80 लाख के सेवा कर की

[1] केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रपारा, ओडिशा के स्कूल भवन निर्माण के लिए श्री पी के बेहुरा और केन्द्रीय विद्यालय, जाजपुर, ओडिशा के स्कूल भवन निर्माण के लिए श्री आर एल सिंह इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड ।

प्रतिपूर्ति का दावा किया था, जिसकी प्रतिपूर्ति फरवरी 2016 से नवम्बर 2016 के दौरान की गई थी।

तथापि, न तो ठेकेदारों और न ही सीपीडब्ल्यूडी ने 13 नवम्बर 2016 तक आईबीआईडी नियमों के तहत सेवा कर की वापसी के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त के पास दावा किया। इसके परिणामस्वरूप ग्राहक विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के द्वारा सेवा कर के प्रति ₹ 71.80 लाख का अतिरिक्त व्यय वहन किया गया था।

सीपीडब्ल्यूडी ने बताया (अगस्त 2017) कि उसके भुवनेश्वर प्रभाग को ठेकेदार से वसूली की कार्रवाई आरंभ करने या अगले भुगतान/अंतिम बिल से समायोजन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वसूली के लिए दावा करने का समय बीत चुका है। इसके आगे, चूंकि कर का मामला पहले ही सीपीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित हो चुका है, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा भी वापसी का दावा किया जा सकता है। इसलिए निर्धारित समयसीमा के भीतर सेवा कर की वापसी का दावा करने में विफलता के कारण निर्माण कार्यों पर ₹ 71.80 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।